

Sale deed
7,00,000/-

P.S.
Simdega

Area
900sq.

Plot
10P.

E. Stamp
25200/-

Teresa Bara



feepaid

AM - 18900 = 0

C.H.C - 189 = 0

Self - 2 = 50

P.fee - 0 = 94

79092 = 44

13/7/16

तरेसा बाड़ा
13-5-2016

~~23 I A with the permission
by L.R.D.C. Simdega
vide case No. 554/2013-14
order dated
26-2-14~~

AM
13.5.16
15.7.16

अंचल द्वारा प्रेषित परिवर्धित
पत्र की सूची के अंतर्गत किया।

13.7.16

18 लेख्यकारिणी :- तरेसा बाड़ा पति श्री चार्लेस एक्का

जाति- उराँव, पेशा- गृहिणी, निवास ग्राम- गोतरा

ठाकुरटोली, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा।

..... बिफ्रेतिका।

शपथ-पत्र संख्या :-

197/2016

आधार कार्ड संख्या 7178 3830 7309

फॉर्म 60

पुनः प्रकृत माहिती प्रदान
की दिनांक 13/07/16

रानीज तिग्गा
ता श्री मनीएर तिग्गा
ग्राम गिराडी पुर देवी सिमडेगा
थाना सिमडेगा जिला सिमडेगा
ता: 13.5.16

॥2॥ लेखधारिणी :- सुश्री शालिनी कुल्लू पिता श्री अश्रिस कुल्लू
जाति- छाड़िया, पेशा- गृहिणी, निवास ग्राम- बिरकेरा,
थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

.. भारतीय नागरिक .. क्रेतिका ।

शपथ-पत्र संख्या :-

198/2016

आधार कार्ड संख्या 9332 7805 3472

फॉर्म 60

॥3॥ लेखप्रकार :- विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी पुत्र पुत्रादिक
सदा सर्वदा के लिए होता है ।

॥4॥ मूल्य :- मोबलिंग सात लाख रुपये अर्के 7,00,000/- रुपये
होता है ।

॥5॥ सम्पति :- सराजियात अन्दर मौजा- गोतरा ठाकरटोली,
थाना- सिमडेगा, थाना नं० 80, सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो
जिला- सिमडेगा के छाता नं० 50 पचास प्लॉट नं० 5109
एकाक सौ नौ रकबा 0.20 एकड़ बीस डिसमिल

शहरी क्षेत्र के चार भागों में से विक्रय वाली जमीन आवासीय है

जिसपर किसी प्रकार का मकान या निर्माण नहीं है । उपरोक्त प्लॉट नं० 5109

जिसकी चौहद्दी :-

उत्तर :- अलकसियुस डुंगडुंग का घेरा,

दक्षिण :- इसी प्लॉट में छोड़ा गया 8 फीट का कच्चा रास्ता,

पूरब :- इसी प्लॉट का अंश नीज बिक्रेता,

पश्चिम :- इसी प्लॉट में छोड़ा गया 9 फीट का कच्चा रास्ता ।

मालगुजारी 10 पैसा दस पैसा अलावे सेस सलाना ।

तेरसा बडा
ता. 13-7-2016

तेरसा बडा
13-5-2016

तेरसा बडा
ता. 13-7-2016

अश्रिस कुल्लू
क्रेतिका
पिता- सुश्री शालिनी कुल्लू
ग्राम बिरकेरा
जिला- सिमडेगा
13-5-2016

॥१॥ चूँकि मुझ लेख्यकारिणी को बीमारी का इलाज कराने एवं घर बनाने हेतु रूपयों की जरूरत पड़ी जिसकी व्यवस्था जमीन बेचे वगैर सम्भव न हुई और तब मैंने लेख्यधारिणी से मेरी जमीन खरीदने की प्रार्थना की जिसे उन्होंने खरीदना एवं रूपये देना स्वीकार किया ।

॥२॥ इसलिए मैंने अपनी इच्छा से शरीर वी मन की स्वस्थता में रहकर उपर खाना संख्या पाँच में वर्णित जमीन को उक्त लेख्यधारिणी के हाथ नगद कीमत चुकता पाकर बेची और बेची गई जमीन का कुल हक दखल वी अधिकार उक्त लेख्यधारिणी वी उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया । अब से बेची गई जमीन पर न मेरा कोई हक सरोकार रहा और न मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न आइन्दा रहेगा ।

॥३॥ मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि विक्रीत वर्णित जमीन मेरी खरीदगी जमीन है जिसे मैंने निबंधित पट्टा नं० 61 दिनांक 17.2.95 ई० के द्वारा खरीदी हूँ । जिसका पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 53 पृष्ठ संख्या 317 से 321 तक है । बाद खरीदगी के अंचल कार्यालय सिमडेगा द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या 173 आर 27/95-96 के द्वारा दाखिल खारिज होकर पंजी II के भोल्यूम संख्या IV पृष्ठ संख्या 155 में मेरा नाम दर्ज है एवं मालगुजारी रसीद कटता है । उक्त जमीन पर मेरा निर्विवाद हक दखल वी कइजा है और किसी प्रकार का वाद या झगड़ा झंझट नहीं है ।

मेरी साक्षी
13-5-2018

§4§ चूँकि हम उभय पक्ष आदिवासी समुदाय के सुरक्षित सदस्य हैं अतः जमीन खरीद बिक्री हेतु अनुमति के लिए श्रीमान् उप समाहर्ता भूमि सुधार, सिमडेगा के न्यायालय में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत आवेदन दिया। जिसका वाद संख्या 554/2013-14 है जिसकी स्वीकृति दिनांक 26.2.014 को प्राप्त हुई एवं जिसका मेमो नं० 201§11§ दिनांक 26.2.2014 है।

§5§ अब चाहिए कि लेख्यधारिणी अपनी जमीन पर का विज वो दखलकार होकर अपना जैसा फायदा का समझें अपने उपयोग में लायें वो झारखण्ड सरकार वजरिये अंचल अधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय से अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर तारीख लेख्य से व अदाय मालगुजारी के रसीद खास नाम से हासिल किया करें।

§6§ इसलिये यह विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी सदा दिन के लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवे।

उक्त बिक्री का जानेवाला जमीन भू-हदबंदी, कैसरे हिन्द, खास महल, सैरात, लीज, भू-दान, बंदोवस्ती, गैर मजूरआ के तहत नहीं है।

रसीद बड़ी
13-5-2016

मैं लेख्यकारिणी यह घोषणा करती हूँ कि विक्रीत जमीन वो बचत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

तेरसा बड़ा

13-5-2016



तेरसा बड़ा
13-5-2016


प्रमाणित किया जाता है कि तेरसा बड़ा ने अपने बायें हाथ के पांचों अंगुलियों का दायें हाथ पर साधन की।

[Signature]
Adv.
13.5.16

मैं लेख्यधारिणी यह घोषणा करती हूँ कि पूर्व में धारित जमीन वो खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

शाशिनी कुल्लु

18.5.2016



प्रमाणित किया जाता है कि शाशिनी कुल्लु ने अपने बायें हाथ के पांचों अंगुलियों का दायें हाथ पर साधन की।

[Signature]
Adv.
13.5.16

